न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनिता मीणा आर०ए०एस

मुकदमा नं० 51/2025

आलोक पुत्र स्व० श्रवण राणा, निवासी– विनोबापुरी, बस्सी नागा, तह० जोबनेर जिला जयपुर। वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार तहसील जोबनेर।

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी नाम दुरूस्ती

<u>अंतर्गत धारा 88 रा०टी०ऐ०</u>

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 16/07/2025

वादी द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 आर०टी०ए० इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख०न० 163/1 रकबा 0.8125 हे० वाकै ग्राम बस्सीनागा तह० जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे खातेदार साहिल पुत्र श्रवण का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त साहील पुत्र श्रवण प्रार्थी ही है जिसका नाम सहवन से वादी के पिता का फौती नामान्तरण खुलने के समय आलोक पुत्र श्रवण के स्थान पर साहील पुत्र श्रवण दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त आराजीयात हिस्से की कृषि भूमि पर वादी निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है।

वादी द्वारा जब अपनी जमाबंदी निकलवाने संबंधित पटवारी हल्का के पास दिनांक 10.04.2025 को गया तो पता चला की उपरोक्त समस्त खातेदारी की आराजी में प्रार्थी का नाम आलोक पुत्र श्रवण की जगह साहिल पुत्र श्रवण दर्ज हो गया। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात व अन्य समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम आलोक पुत्र श्रवण ही दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध व गलत होने से प्रार्थी को अपनी आराजी विकसित करने व आराजी के रहन आदि रखने में असुविधा हो रही है।

वादी का वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती सम्पूर्ण रूप से स्वीकार फरमाया जाकर वाकै ग्राम बस्सीनागा तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि जिसके नया खाता संख्या 145 व पुराना 125 के खसरा नंबर 163/1 रकबा 0.8125 हे० स्थित है जिसमें साहिल पुत्र श्रवण का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा उक्त आराजीयात में साहिल पुत्र श्रवण की बजाय सही नाम आलोक पुत्र श्रवण दर्ज किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद फरमाय जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 08/07/2025 को जबाब तथा फर्द मौका

रिपोर्ट इस आशय की कि राजस्व ग्राम बस्सीनागा के ख0नं0 163/1 रकबा 0.8725 हे0 खातेदार साहिल पुत्र श्रवण हिस्सा 1/6 जाति राणा सा0 देह खातेदार जमाबंदी अनुसार दर्ज है। नामा0 संख्या 805 के अनुसार साहिल पुत्र श्रवण के नाम से विरासत नामा0 दर्ज हुआ जो आदिनांक चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जनाधार कार्ड व राज्य के अन्य पिछडे वर्ग प्रमाण पत्र में वादी का नाम आलोक पुत्र श्रवण दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न मौका पर्चा के अनुसार मौके पर उपस्थित मौत बिरान द्वारा बताया गया कि साहिल पुत्र श्रवण नाम से कोई व्यक्ति नही है, आलोक पुत्र श्रवण जाति राणा नाम से व्यक्ति है। कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में आलोक पुत्र श्रवण दर्ज है।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 163/1 वाके ग्राम बस्सीनागा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। जिसमे वादी का नाम साहिल पुत्र श्रवण दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधारकार्ड,एवं राशन कार्ड में वादी का नाम आलोक पुत्र श्रवण दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने वताया है कि साहिल पुत्र श्रवण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, आलोक पुत्र श्रवण नाम से ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 163/1 रकबा 0.8725 हे0 वाके ग्राम बस्सी नागा तह0 जोबनेर में साहिल पुत्र श्रवण के स्थान पर आलोक पुत्र श्रवण दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोबनेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

(सुमित्रा मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर